रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01062023-246212
SG-DL-E-01062023-246212

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2023/ज्येष्ठ 11, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 83
No. 169]	DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2023/JYAISHTHA 11, 1945	[N. C. T. D. No. 83

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मई, 2023

फा. सं. 22(11)/भर्ती नियम/कार चालक/प्रशा./म. एवं बा. वि./2022/1700.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'स्टाफ कार चालक' (सामान्य ग्रेड, ग्रेड–II तथा ग्रेड–I), समूह–ग के पद हेतु निम्नानुसार भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, 'स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड, ग्रेड–II तथा ग्रेड–I), समूह–ग भर्ती नियमावली, 2023' कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव.**—इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क. स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के पद हेतु

1.	पद नाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	03* (2022) * (परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ग, अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय,
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, 19900-63200/-रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदशों तथा आदेश के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीपः**-आयु सीमा निर्धारण हेतु अंतिम तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः- (i) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना, (ii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में छोटी विकृतिओं को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); (iii) मोटर कार चालक का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; तथा (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। **वांछनीयः-** होम गार्ड/नागरिक स्वयं सेवकों के रूप में 3 वर्ष की सेवा। **टीपः**यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति / समावेशन के असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हा तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	**प्रतिनियुक्ति / समावेशन :–** महिला एवं बाल विकाय विभाग मेंवेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 में, 18000–56900 रूपये में समूह–ग के नियमित कर्मचारियों में से, मोटर कार चालन के ड्राइविंग परीक्षण क्षमता के आंकलन के आधार पर मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले में से, जिसके असफल होने पर अन्य मंत्रालयों / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्रों के विभागों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 में, 18000–56900 रूपये में समूह–ग के नियमित कर्मचारियों में से जो कॉलम 7 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवार्य योग्यताएं पूर्ण करते हों। टीप :–प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या कोई अन्य संगठन / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र के विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	**समूह "ग" विभागीय स्थायीकरण समिति (मामले के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव / सचिव (प्रशा0 सुधा0) – अध्यक्ष 2. निदेशक, डीडब्ल्यूसीडी, रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) –सदस्य टीप :–यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

ख. स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II) पद हेतु

1.	पद नाम	:	**स्टाफ कार चालक ग्रेड–II**
2.	पदों की संख्या	:	03* (2022) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर–4, (25500–81100 / –रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	गैर चयन

6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	**पदोन्नति :–** ग्रेड में 09 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 में, 19900–63,200/–रुपये में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) हो तथा उसने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	पदोन्नति पर विचारार्थ हेतु समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0 सुधा0) –अध्यक्ष 2. निदेशक, डीडब्ल्यूसीडी, रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) –सदस्य टीपः यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ होता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

ग. स्टाफ कार चालक (ग्रेड–I) पद हेतु

1.	पद नाम	:	**स्टाफ कार चालक ग्रेड–I**
2.	पदों की संख्या	:	03* (2022) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर–5, (29200–92300/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा

11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती हानी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति :– ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 में, 25500–811,00/–रुपये में स्टाफ कार चालक ग्रेड–II अथवा स्टाफ कार चालक ग्रेड–II और स्टाफ कार चालक(सामान्य ग्रेड) में 15 वर्षों की संयुक्त सेवा सहित; तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	पदोन्नति पर विचारार्थ समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0सुधा0) –अध्यक्ष 2. निदेशक, डीडब्ल्यूसीडी, रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) –सदस्य टीपः यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ होता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
कृष्ण कुमार, विशेष सचिव–सह–निदेशक, डीडब्ल्यूसीडी

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th May, 2023

F. No. 22(11)/RR/Car Driver/Admn/WCD/2022/1700.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the post of 'Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II and Grade-I), Group-C in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II and Grade-I), Group-C, Recruitment Rules, 2023'.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc..—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

A. For the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade)

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
1	2	3	4	5
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	03 *(2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 2, (Rs. 19900-63200/-)	Not Applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
6	7	8
18-25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note**:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination', the age limit would be 18-27 years.	**Essential:** (i) Possession of a valid driving license for Motor Cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and (iv) Pass in 10th standard. **DESIRABLE:** 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Schedules Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
9	10	11
Two years for direct recruits	Deputation/ Absorption failing which by direct recruitment.	**Deputation/Absorption:** From amongst the regular Group C employees in Pay Matrix of Level-1, Rs. 18000-56900/- in the Department of Women and Child Development who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from regular Group C employees in Pay Matrix of Level-1, Rs. 18000-56900/- in other Ministries/ Department of the Central Government/State Government/ Union Territories who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column 7. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /Department

		of the Central Government/State Government/Union Territory shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation /absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering cases) 1. Pr. Secretary/Secretary (AR) - **Chairman** 2. Director, DWCD GNCTD - **Member** 3. Dy. Secretary (GAD) - **Member** **Note:-** Senior most member of the departmental Confirmation committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	Not applicable.

B. For the post of Staff Car Driver (Grade-II)

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
1	2	3	4	5
Staff Car Driver Grade-II	03* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 4, (Rs.25500-81100/-)	Non-Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
9	10	11
Not Applicable.	Promotion.	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Pay Level-2, Rs.19900-63200 in the pay matrix with 9 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making

	recruitment.
12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering Promotion: 1. Pr. Secretary/Secretary (AR) - **Chairman** 2. Director, DWCD GNCTD - **Member** 3. Dy. Secretary (GAD) - **Member** **Note:-** Senior most member of the departmental promotion committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

C. For the post of Staff Car Driver (Grade-I)

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
1	2	3	4	5
Staff Car Driver Grade-I	03* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 5, (Rs.29200-92300/-)	Non-Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
9	10	11
Not Applicable.	Promotion.	**Promotion:** Staff Car Driver Grade-II in Level-4, Rs.25500-81100 in the pay matrix with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making

12	13
	recruitment.
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering Promotion: 1. Pr. Secretary/Secretary (AR) - **Chairman** 2. Director, DWCD GNCTD - **Member** 3. Dy. Secretary (GAD) - **Member** **Note:-** Senior most member of the departmental promotion committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

KRISHAN KUMAR, Spl. Secy.-cum-Director, DWCD

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA